A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान

आई.ए.एस.

अपील संख्या 104 / 2019

जमनालाल (जगमाल) पुत्र चुन्नीलाल, जाति जाट, निवासी मालसर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट्

––

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार झुंझुनूं आदेश दिनांक 15.06.2020 उनवानी सरकार बनाम जमनालाल मु0न0 01 / 2020 अ0धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. रामसिंह झाझडिया एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.08.2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 15.06.2020 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैः– अदालत मातहत के सम्मुख पटवारी हल्का पातुसरी की इस रिपोर्ट पर कि खसरा न0 112 रकबा 10.94 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह मे से 0.02 है0 भूमि पर कच्चा मकान बना करके अपीलान्ट ने अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है जिस पर योग्य अदालत मातहत द्वारा तारीख पेशी दिनांक 20.01.2020 के लिए धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जिसमे तारीख दिनांक 10.02.2020 को अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना जबाब नोटिस पेश किया जिसमे अपीलार्थी ने स्वयं ही अपनी पैरवी की तथा किसी वकील आदि की सहायता नही ली गई। जबाब मे अपीलार्थी ने निवेदन कर अंकित किया कि उसने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। पशुओं का चारा पडा हुआ है जिसे आवारा पशुओं से बचाने के लिए सुखी ईंटे लगाई हुई है। उक्त चारा उसने कब्जे की नियत से नही डाल रखा है तथा फसल कटने पर उसे उठा लेगा। तत्पश्चात् दिनांक 08.06.2020 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा दिनांक 15.06.2020 को योग्य अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए अपीलार्थी को ग्राम मालसर की राजकीय भूमि खसरा नं0 112 रकबा 10.94 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह मे से 0.02 है0 पर से

जिला कलेक्टर झुंझुनू

A-4/2

बेदखली का आदेश पारित किया गया तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप शरह लगान का 50 गुणा बतौर शास्ति रूपये 10/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश करना आवश्यक हुई। वजुहात अपील निम्न प्रकार हैः- निर्णय मातहत अदालत खिलाफ कानूनी व पत्रावली है। अदालत मातहत द्वारा सरासर गलत आदेश पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करने मे सरासर भूल की है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2020 को अपना जबाब प्रस्तुत कर देने पर अदालत मातहत को इसके संबंध मे मौके की रिपोर्ट मंगवाना जरूरी थी लेकिन अदालत मातहत ने कहा कि जबाब पेश कर दो, तुम्हे अब आने की आवश्यकता नही है। अपीलार्थी एक सेवानिवृत अर्द्वसैनिक बल से है तथा चारागाह भूमि पर कब्जे की कोई नियत नही रखता है। मामले मे विवादित जोहडवाली भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से सटकर होने से पटवारी हल्का नाजायज रूप से परेशान करता है तथा नाजायज मांग करते हुए सरासर झूठी रिपोर्ट की है। इस अपील के जरिये अपीलार्थी सख्त निवेदन करता है कि मौके पर अपीलार्थी को सीमाज्ञान कराया जाकर अपीलार्थी के खर्चे से पत्थरगढी करा दी जाये और यदि कोई चारा ईट चारागाह भूमि पर होगा तो वह तुरन्त उठा लेगा। अदालत मातहत ने एकतरफा रूप से बिना पटवारी के बयान लिये बिना रिपोर्ट को साबित हुए ही गलत व मनमाना निर्णय पारित किया है जबकि मौके पर अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण व नाजायज कब्जा नही है। अपीलार्थी चारागाह भूमि से सटते खसरा न0 121 का खातेदार है जिससे उक्त चारा चारागाह भूमि मे गलत रूप से पटवारी हल्का ने दिखाया है जबकि उक्त रिपोर्ट साबित भी बिना बयान के नही हो पाई है। ग्राम मालसर मे जमनालाल पुत्र चुन्नीलाल नाम का कोई व्यक्ति नही है फिर भी विडम्बना है कि उसके नाम की अतिक्रमण रिपोर्ट भरी जाकर उसे अतिक्रमी भी घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट पर किसी भी गांव मौतबीर व्यक्ति के हस्ताक्षर भी नही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निवेदन है कि निर्णय योग्य अदालत मातहत दिनांक 15.06.2020 अपास्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि उसने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। पशुओं का चारा पडा हुआ है जिसे आवारा पशुओं से बचाने के लिए सुखी ईंटे लगाई हुई है। अपीलार्थी ने उक्त चारा उसने कब्जे की नियत से नही डाल रखा है तथा फसल कटने पर उसे उठा लेगा। योग्य अदालत मातहत को विविादित भूमि के संबंध मे मौके की रिपोर्ट मंगवाना जरूरी थी मामले मे विवादित जोहडवाली भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से सटकर होने से पटवारी हल्का नाजायज रूप से परेशान करता है तथा नाजायज मांग करते हुए सरासर झूठी रिपोर्ट की है। मौके पर अपीलार्थी को सीमाज्ञान कराया जाकर अपीलार्थी के खर्चे से पत्थरगढी करा दी जाये और यदि कोई चारा ईट चारागाह भूमि पर होगा तो वह तुरन्त उठा लेगा। अपीलार्थी चारागाह भूमि से सटते खसरा न0 121 का खातेदार है जिससे उक्त चारा चारागाह भूमि मे गलत रूप से पटवारी हल्का ने दिखाया है जबकि उक्त रिपोर्ट साबित भी बिना बयान के नही हो पाई है। ग्राम मालसर मे जमनालाल पुत्र चुन्नीलाल नाम का कोई व्यक्ति नही है फिर भी विडम्बना है कि उसके नाम की अतिक्रमण रिपोर्ट भरी जाकर उसे अतिक्रमी भी घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट पर किसी भी गांव मौतवीर व्यक्ति के हस्ताक्षर भी नही है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2020 को खारीज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने कच्चा मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के

[signature]

[stamp] कलेक्टर झुन्झुनू

उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम मालसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 112 कुल रकबा 10.94 हैक्टर किस्म पर मुमकीन चारागाह में 0.02 हैक्टर का अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने स्वयं अपील मे माना है कि उसके द्वारा विवादित भूमि मे पशुओं के लिए चारागाह डाला हुआ है। राजकीय भूमि पर निजी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से किये गये अतिक्रमण को वैध नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फॉर्स नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/8/20

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू